CANCELLED

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) अनुभाग सीहोर (म0प्र0)

प्रकरण कमांक 92/अ–2/2016–17

आवेदक श्री सांई ग्रामोत्थान समिति अध्यक्ष द्वारा
कमलकांत तिवारी आ0 श्री काशीप्रसाद
निवासी भोपाल व कृषक ग्राम गादिया तहसील सीहोर जिला सीहोर .... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन .... अनावेदक

(आदेश दिनांक 25/11/16 को पारित)

आवेदक श्री सांई ग्रामोत्थान समिति अध्यक्ष द्वारा कमलकांत तिवारी आ0 श्री काशीप्रसाद निवासी भोपाल व कृषक ग्राम गादिया तहसील व जिला सीहोर द्वारा आवेदन द्वारा गादिया स्थित **भूमि खसरा कमांक 55/8, 56/3 रकबा 3.454 है0** भूमि का **शैक्षणिक प्रयोजन** में भूमि व्यपवर्तन के लिये म0प्र0 भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र, रजिस्ट्री की प्रति, खसरा वर्ष 1959, की प्रमाणित प्रति, नामांतरण पंजी, अक्स की प्रति, तथा लोकेशन प्लान, ब्लू प्रिंट, कंटूर मेप, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की प्रति प्रस्तुत है।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **राजस्व निरीक्षक** डायवर्सन शाखा से स्थल जांच कराकर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित स्थित **भूमि खसरा कमांक 55/8, 56/3 रकबा 3.454 है0** भूमि आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की है। प्रश्नाधीन भूमि स्थल पर रिक्त होना, भूमि पर टेलीफोन लाईन, ईमारती तथा फलदार वृक्ष, सार्वजनिक तालाब, कुआं, धार्मिक, ऐतिहासिक महत्व का संरक्षित स्थान नहीं होना बताया गया है। आवेदित भूमि सीहोर विकास योजना प्रारूप 2031 के अंतर्गत प्रस्तावित **कृषि** की भूमि है किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रस्तावित नहीं है। **शैक्षणिक प्रयोजन** हेतु डायवर्शन किया जाना है।

प्रकरण में सार्वजनिक उदघोषणा जारी किये जाने पर आवेदित भूमि के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति/दावा समय सीमा में प्राप्त नहीं हुई।

पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक (अनुलग्नक–1) व अधीक्षक भूअभिलेख (अनुलग्नक–2) से प्रतिवेदन प्राप्त उन्होंने व्यपवर्तन किया जाना प्रस्तावित किया है। पटवारी (अनुलग्नक–1) एवं राजस्व निरीक्षक /अधीक्षक भूअभिलेख (अनुलग्नक–2) से प्रतिवेदन प्राप्त उन्होंने व्यपवर्तन किया जाना प्रस्तावित किया है।

नगर तथा ग्राम निवेश विभाग भोपाल, को अभिमत हेतु लिखा गया। अभिमत प्राप्त संलग्न है। विद्युत मंडल सीहोर एवं लोक निर्माण विभाग सीहोर से अभिमत प्राप्त एवं ग्राम पंचायत का भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया जिसमें ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

राजस्व निरीक्षक डायवर्सन शाखा के प्रतिवेदन (अनुलग्नक–4) के अनुसार उक्त भूमि के लिये पुनःनिर्धारण रू. 0.2 प्रतिशत, तथा प्रीमियम की दर 01 प्रतिशत देय है। आवेदित **भूमि खसरा कमांक 55/8, 56/3 रकबा 3.454 है0** भूमि का उपरोक्त के मान से **व्यपवर्तित लगान रू. 6236/– प्रतिवर्ष तथा प्रीमियम 31178/–** एक बार देय एवं व्यपवर्तित लगान का 1/2 भाग **उपकर रू. 3118/–** प्रतिवर्ष अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। आवेदक व्यपवर्तन लगान एवं निर्धारित उपकर देने के लिये सहमत है।

सत्य प्रतिलिपि अभि प्रमाणित

प्रकरण में संलग्न दस्तावेज, अधीक्षक भूअभिलेख एवं राजस्व निरीक्षक भूमि व्यपवर्तन के प्रतिवेदन के आधार **भूमि खसरा कमांक 55/8, 56/3 रकबा 3.454 हैं0** भूमि का उपरोक्त के मान से **व्यपवर्तित लगान रू. 6236/– प्रतिवर्ष तथा प्रीमियम 31178/– एक बार देय एवं व्यपवर्तित लगान का 1/2 भाग उपकर रू. 3118/–** प्रतिवर्ष एवं बिना अनुमति के भवन निमार्ण करने पर 2000/– अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है तथा उक्त भूमि का लगान कम किया जाकर आवेदक को म0प्र0 भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के तहत निम्न शर्तो के अधीन **शैक्षणिक प्रयोजन** हेतु व्यपवर्तन किया जाता है:–

1. परिवर्तित भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण/विकास/सुधार अथवा विक्रय करने के पूर्व आवेदक को संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग भोपाल से नक्शा का अनुमोदन व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि आवेदकगण बगैर इस अनुमति के व्यपवर्तित भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण/विकास/सुधार अथवा विकय करते हैं तो यह व्यपवर्तन आदेश आवेदक को बगैर कोई सूचना दिये निरस्त किया जा सकेगा तथा इसके पश्चात आवेदक को होने वाली किसी भी क्षति के लिये आवेदक उत्तरदायी होंगे।
2. आवेदक/कंपनी/संस्था को म0प्र0 सड़क विकास निगम भोपाल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
3. आवेदक स्थल पर विद्यमान वृक्षों को यथावत रखेगा।
4. आवेदित भूमि के संबंध में किसी प्रकार का स्वत्व संबंधी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त हो जावेगी।
5. आवेदक को निर्धारित निर्धारण, व्यपवर्तित लगान, प्रीमियम, उपकर आदि तत्काल जमा कराना होगा।
6. यदि आवेदित भूखण्ड में विद्युत लाईन स्थापित हो तो वह आवेदक स्वंय के व्यय पर परिवर्तित करायेंगे।
7. शासन हित में यदि भूमि का अर्जन किया जाता है तो मुआवजा आदि कृषि भूमि के अनुसार देय होगा।
8. आवासीय भूखण्ड अथवा भवन के विकय के दौरान रजिस्टर्ड विकय पत्र में यह शर्त अवश्य लगायें कि अंतरण होने के पश्चात केता भूभाटक, पंचायत उपकर, शाला उपकर स्वंय जमा करायेगा।
9. आवेदक को उपरोक्त सभी शर्ते मान्य है।

उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर प्रदत्त अनुज्ञा निरस्त की जावेगी।

अनुविभागीय अधिकारी
सीहोर जिला सीहोर

पृक./ 6625 /रीडर1/16 सीहोर दिनांक 12-12-16 / /2016

प्रतिलिपि :–

1. राजस्व निरीक्षक भू परिवर्तन शाखा सीहोर की ओर सूचनार्थ।
2. तहसीलदार तहसील सीहोर/श्यामपुर की ओर सूचनार्थ।
3. हल्का पटवारी नं. .... तहसील सीहोर/श्यामपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. आवेदक श्री सांई ग्रामोत्थान समिति अध्यक्ष द्वारा कमलकांत तिवारी आ0 श्री काशीप्रसाद निवासी भोपाल व कृषक ग्राम गोदिया तहसील व जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी
सीहोर जिला सीहोर

5. पर्याप्त शुल्क ... 09 DEC 2016
6. दिनांक ... 3-12-16
7. प्रतिलिपि तैयार ...
8. प्रतिलिपि देने ...
9. वास्तविक ... 09 DEC 2016